राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लालचन्द बनाम जसवन्त सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस पेश की, जिसे शामिल मिसल किया गया	तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/05/2026 को पेश हो		
13/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/06/2025 पारित करते हुये तहसीलदार कोटपूतली को आराजी खसरा नम्बर 706/0.99 हैक्टेयर वाके ग्राम बखराना, तहसील कोटपूतली के मौके पर जाकर पक्षकारान को सूचित कर उनकी मौजूदगी में वादी के विक्रय पत्र को मध्यनजर रखते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा कर खसरा एवं लगान का निर्धारण कर मय नक्शा ट्रेस कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29/08/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि मूल प्रकरण विभाजन का है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है	सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है	ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्यायोचित्त प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नही समझा जाता है		

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लालचन्द बनाम जसवन्त सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1720/2025	

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29/08/2025 यथावत रखे जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।